भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2739

04 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

विषय- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत शामिल जोखिम और आपदाएं

2739. श्री के. गोपीनाथः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत जंगली जानवरों के हमलों और धान की फसल के जलमग्न होने के कारण फसल का नुकसान सहित कौन-से विशिष्ट नए जोखिम लाए गए हैं,

(ख) किस तंत्र के माध्यम से किसान जंगली जानवर के हमले के प्रावधान के अंतर्गत मुआवजे का दावा कर सकते हैं और संवेदनशील जिलों और पशु प्रजातियों को अधिसूचित करने में राज्य सरकारों की क्या भूमिका है,

(ग) धान की फसल के जलमग्न होने की स्थिति को स्थानीय आपदा कवर के रूप में पुनः आरंभ करने के मानदंड और औचित्य क्या हैं तथा इससे किन क्षेत्रों को लाभ होने की उम्मीद है,

(घ) इन जोखिम विस्तारित कवरों को खरीफ सीजन, 2026 से लागू करने के लिए समय-सीमा और प्रचालन ढांचा क्या है, और

(ङ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि विस्तारित जोखिम कवरेज उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में किसानों के लिए समावेशिता, जवाबदेही और समग्र सुरक्षा बढ़ाए?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क)से (ड.): प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ((PMFBY, जिसे देश में वर्ष 2016-17 से कार्यान्वित किया गया है, राज्यों के साथ-साथ किसानों के लिए भी स्वैच्छिक है। यह योजना संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित फसलों/क्षेत्रों के लिए बुआई पूर्व से लेकर फसलोपरांत तक, गैरनिवारणीय- प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों को होने वाले नुकसान के विरुद्ध में व्यापक जोखिम बीमा प्रदान करती है। जंगली जानवरों के कारण फसलों को होने वाले नुकसान, जिसे रोका जा सकता है, को पहले इस योजना के अंतर्गत कवर नहीं किया गया था। तथापि, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एवं राज्य सरकारों के अनुरोध पर, राज्यों को व्यक्तिगत आकलन के आधार पर जंगली जानवरों द्वारा होने वाले नुकसान को ऐडऑन कवर के रूप में अधिसूचित करने की अनुमति दी गई है, जिसका खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। इस तरह के कवरेज के लिए विस्तृत प्रोटोकॉल योजना के प्रचालन दिशानिर्देशों में दिया गया है।

जलभराव को जोखिम कवर के रूप में PMFBY के अंतर्गत सभी अधिसूचित फसलों के लिए उपलब्ध कराया गया है। तथापि, स्थानीय दावों के मामलों को छोड़कर हाइड्रोफिलिक फसलों जैसे कि धान, पटसन, मेस्टा, गन्ना आदि फसलों के लिए बीमा कवर उपलब्ध है।
